न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉगोद जिला कोटा।
बइजलास राजेश डागा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 60/2019 दावा/बउनवान/सुशीलाबाई/ग्यारसीवाई वगैरा

श्रीमती सुशीलाबाई पत्नी श्री राधेश्याम जाति माली निवासी सॉगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा।

—वादीनी—

—बनाम—

1. ग्यारसीबाई पुत्री श्री चतुर्भुज पत्नी श्री बिरधीलाल जाति माली निवासी ग्राम सॉगोद हाल निवासी ग्राम भगवानपुरा तहसील सॉगोद जिला खानपुर,
2. नाथीबाई पुत्री श्री चतुर्भुज पत्नी श्री गंगाबिशन जाति माली निवासी ग्राम सॉगोद हाल निवासी ग्राम सकतपुर तहसील अटरू जिला बारॉ,
3. कन्हैयालाल पुत्र श्री धन्ना जाति माली निवासी ग्राम सॉगोद जिला कोटा,
4. केसरबाई पुत्री श्री धन्नालाल पत्नी श्रीकृष्ण उर्फ राधाकिशन जाति माली निवासी ग्राम सॉगोद हाल निवासी सीसवाली रोड(कालाजी का कुऑ), अन्ता जिला बारॉ,(डिलिट)
5. नन्दलाल पुत्र श्री किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम सॉगोद,
6. ओमप्रकाश पुत्र श्री किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम सॉगोद,
7. विष्णु पुत्र श्री किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम सॉगोद,
8. देव उर्फ देवकीबाई पुत्री श्री किशनलाल पत्नी श्री अर्जुन जाति माली निवासी ग्राम सॉगोद हाल निवासी ग्राम बामला तहसील बारॉ जिला बारॉ,
9. श्रीमती कस्तूरबाई बेवा श्री किशनलाल जाति माली निवासी ग्राम सॉगोद,
10. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा,

—प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

——:: निर्णय ::——　　　　दिनॉक :— 5.1.2023

वादीनी ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि खसरा नंबर 128 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नंबर 129 रकबा 0.85 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 1.56 हैक्टर आराजी वाके ग्राम हरिपुरा तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित है। उक्त वादग्रस्त आराजी में निहित स्वयं का सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 9 द्वारा जरिये रजिस्टर्ड बैनामा कमांक 2014001394 दिनॉक 14.11.2014 से वादीनी को विक[illegible]के पर कब्जा सम्भला दिया था किन्तु राजस्व रिकार्ड में विक्रेता प्रतिवादी क्रं. 5 लगायत 8 [illegible] व प्रतिवादी क्रं. 9 के पति स्व. किशनलाल का फौती इंतकाल नहीं खुलने के कारण पटवारी हल्का द्वारा उक्त रजि[illegible]नामें के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 16:06:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

आधार पर नामान्तरण दर्ज नहीं किया जिसके संबंध में वादीनी द्वारा गत सप्ताह तहसीलदार साहब से निवेदन किया तो उन्होने माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर आदेश लाने को कहा। वादकारण गत सप्ताह तहसीलदार साहब द्वारा रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर आदेश प्राप्त करने की कहने पर उत्पन्न हुआ। भूमिधारी राज्य सरकार होने से प्रतिवादी की हैसियत से राज्य सरकार को तहसीलदार साहब के जरिये वाद में पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम हरिपुरा में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वाद का श्रवण करने का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः वादपत्र की चरण संख्या 1 में अंकित आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कं. 1 लगायत 4 के नाम अंकित हिस्सा आराजी एवं प्रतिवादी कं. 5 लगायत 8 के पिता व प्रतिवादी कं. 9 के पति स्व. किशनलाल पुत्र श्री धन्ना के नाम अंकित हिस्सा आराजी का वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

वादीनी की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कं. 1, 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी कं. 4 का नाम डिलिट करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रतिवादी कं. 4 का नाम रिकार्ड से डिलिट किया गया। प्रतिवादी कं. 3, 5, 6, 7, 9 द्वारा स्वयं उपस्थित होकर वाद स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की। प्रतिवादी कं. 8 द्वारा इकबालिया जवाबदावा पेश कर दावा वादीनी स्वीकार कर डिकी करने में सहमति व्यक्त की। जवाब सरकार पेश हुआ। पत्रावली पर उपलब्ध विकय विलेख एक रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसके अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः दावा वादीनी स्वीकार करना उचित समझता हूं।

अतः दावा वादीनी स्वीकार कर माल ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 128 रकबा 0.71 हैक्टर, खसरा नंबर 129 रकबा 0.85 हैक्टर कुल किता 2 की कुल 1.56 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 व प्रतिवादी कं. 5 लगायत 9 के नाम अंकित हिस्सा आराजी का वादीनी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 व प्रतिवादी कं. 5 लगायत 9 के नाम अंकित हिस्सा आराजी वादीनी के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 16:06:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

खाते दर्ज की जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अं
डिकी मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 4.1.2023 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय
सुनाया गया।

(राजेश डागा)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद (कोटा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 16:06:27 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार सॉगोद जिला कोटा(राज0)।

4.1.23

निमित्त :–

न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,
सॉगोद जिला कोटा।

विषय :– बउनवानी वादपत्र सुशीलाबाई बनाम ग्यारसीबाई वगैरा मि. कं. 60/19 में जवाब के कम में।

महोदय,

वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र का निम्नलिखित जवाब प्रस्तुत है :–

1. यह कि वादपत्र की मद संख्या 1 रेकार्ड से संबंधित है।

2. यह कि वादपत्र की मद संख्या 2 वादी स्वयं सिद्ध करे।

3. यह कि वादपत्र की मद संख्या 3 वादी स्वयं सिद्ध करे।

4. यह कि वादपत्र की मद संख्या 4 कानूनी है।

5. यह कि वादपत्र की मद संख्या 5 कानूनी है।

6. यह कि वादपत्र की मद संख्या 6 कानूनी है।

अतः जवाब श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी स्वयं अपने वाद को सिद्ध करें।

तहसीलदार सॉगोद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 16:06:27 IST
Reason: SelfAttested